बिहार सरकार
खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग

अधिसूचना

पटना 15, दिनांक 09/03/15

संख्या प्र02वि0 1– 64/2012 1960 उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 की धारा 9(a) तथा 10 (1-a) में यथा विर्निदिष्ट तथा बिहार उपभोक्ता संरक्षण नियमावली 1987 के नियम (3) एवं (4) में वर्णित प्रावधानों के अधीन प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नांकित पदाधिकारियों को उनके नाम के सामने स्तम्भ (3) में उल्लिखित जिला के जिला उपभोक्ता फोरम में योगदान की तिथि से पूर्ण कालिक अध्यक्ष के पद पर पॉच वर्ष अथवा 65 वर्षों की उम्र सीमा (जो भी पहले हो) तक के लिए नियुक्त किया जाता है :–

क्र0 सं0	नाम एवं पता	जिला उपभोक्ता फोरम का नाम	अभियुक्ति
01	02	03	04
01	श्री बलराम सिंह, पिता – श्री शिव कुमार सिंह, अभिषेक सदन, 30 चक हरिहर भान, नयानगर, झॉसी, इलाहाबाद, उत्तरप्रदेश।	भोजपुर	अप्रैल 2015 से रिक्त।
02	श्री अभय कुमार बरियाल, पिता – स्व0 बेनी माधव प्रसाद, मथुरा कुटीर, पार नवादा, देवी स्थान, पो0–थाना–जिला – नवादा। पिन – 805110	अरवल	15.04.2015 से रिक्त।

2. स्तम्भ 04 में उल्लिखित रिक्ति के तिथि से एक माह के अंदर योगदान नहीं करने पर अधिसूचना विलोपित समझी जाएगी एवं निर्धारित अवधि के बाद योगदान स्वीकार नहीं किया जाएगा।

3. अध्यक्षों का वेतन सेवानिवृति की तिथि को प्राप्त वेतनमान में वित्त विभाग के संकल्प संख्या 1434 दिनांक 09.03.2000 के आलोक में निर्धारित होगा।

4. नवनियुक्त अध्यक्ष अपना योगदान संबंधित जिला के जिलाधिकारी को देंगे। योगदान की प्रति अध्यक्ष, राज्य आयेाग/निदेशक, उपभोक्ता संरक्षण निदेशालय, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना को प्रस्तुत करेंगें।

5. योगदान पत्र के साथ जन्म प्रमाण पत्र की अभिप्रमाणित प्रति तथा घोषणा पत्र संलग्न किया जाना आवश्यक है।

6. वांछित प्रमाण–पत्र के अभाव में योगदान स्वीकार नही किये जायेगें।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

9/3/15

(पंकज कुमार)

सरकार के सचिव

D:/ food supply sec-2 Direc 2015

ज्ञापांक– प्र02 वि01– 64 / 2012 1960 खाद्य, दिनांक 09/03/15
प्रतिलिपि– अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना को बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

सरकार के सचिव

ज्ञापांक– प्र02 वि01– 64 / 2012 1960 खाद्य, दिनांक 09/03/15
प्रतिलिपि– महालेखाकार, बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना / निबंधक, राज्य आयोग, उपभोक्ता संरक्षण, बिहार, आर0 ब्लौक, पटना / निदेशक, उपभोक्ता संरक्षण निदेशालय, बिहार, पटना / संबंधित जिला पदाधिकारी / संबंधित अध्यक्ष, जिला उपभोक्ता फोरम / संबंधित कोषागार पदाधिकारी / माननीय मंत्री के आप्त सचिव / आई0 टी0 मैनेजर (विभागीय बेवसाईट पर अपलोड हेतु) / प्रशाखा–02 को 5 अतिरिक्त प्रतियों के साथ एवं प्रशाखा 05 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कायार्थ प्रेषित। निबंधक, राज्य आयोग, उपभोक्ता संरक्षण, बिहार, पटना से अनुरोध है कि, वे संबंधित अध्यक्ष को अधिसूचना की प्रति का तामिला अपने स्तर से शीघ्र कराना सुनिश्चित करेगें।

सरकार के सचिव